6 9/24

वकील प्रार्थी उप०/ प्रार्थी

का प्रा० पत्र स्वीकार किया गया।

विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा

जाकर शामिल पत्रावली किया

गया।

पत्रावली फैसल शुमार

होकर बाद तखमील दाखिल

दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.09.20 15:19:32 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] मजिस्ट्रेट लवाण

प्र.स.– 11 / 2024
(GCMS 2024/35)
दायर दिनांक 11.06.2024
निर्णय दिनांक – 06.09.2024

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्री बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 11/2024

(GCMS 2024/35)

प्रकरण दायर दिनांक :- 11.06.2024

सन्नी कपूर(सचिव), संजिता शिक्षा समिति जाति पंजाबी निवी 2 सुदा सागर कॉलोनी ए ब्लॉक करधनी शॉपिंग सेंटर के पास मालवीय नगर जयपुर (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लवाण, जिला दौसा (राज.)
2. सीताराम शर्मा पुत्र जौहरी लाल शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी रामजीपुरा तहसील लवाण जिला-दौसा।
3. कृष्णाअवतार उर्फ कृष्ण मुरारी पुत्र जौहरी लाल शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी रामजीपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।
4. गरीमा पत्नि राजीव शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील लवाण जिला-दौसा।
5. मनीषा शर्मा पत्नि विष्णु शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील लवाण जिला-दौसा।
6. स्वेतिका कपूर पत्नि सन्नी कपूर जाति पंजाबी निवासी 83, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्रथम जगतपुरा रोड़ मालवीय नगर जयपुर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.09.20 15:19:32 IST
Reason: SelfAttested

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत करवाये जाने पत्थरगढी

(G.C.M.S 2024/[illegible])

दायर दिनांक 11.06.2024

निर्णय दिनांक — 06.09.2024

दिनांक : 06.09.2024

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया है कि प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि ग्राम रामजीपुरा तहसील लवाण की जमाबंदी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या नया 57 खाता संख्या पुराना 29 खसरा नम्बर 237/188 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 239/189 रकबा 0.4500 है0, खसरा नम्बर 241/190 रकबा 0.1150 है0 कुल किता-3 कुल रकबा 0.8750 हैक्टयर वाके ग्राम रामजीपुरा तहसील लवाण में स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 238/188 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 237/188 रकबा 0.100 है0, खसरा नम्बर 239/189 रकबा 0.4500 है0, खसरा नम्बर 241/190 रकबा 0.1150 है0 कुल किता-3 कुल रकबा 0.8750 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। इस बावत तहसीलदार लवाण से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार लवाण ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 में यह अंकन किया है कि पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। कृषि भूमि की सीमा पर पडोसी खातेदारो द्वारा विवाद किया जा रहा है। हमारे विनम्र अभिमत में उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किया जाना विधि संगत है।

तहसीलदार लवाण को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी पर अडोस-पडोस के खेतों में फसल सरसब्ज न होने पर अर्थात पडोस के खेत खाली होने पर नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थी स्वंय वहन करे। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उप जिला कलक्टर
लवाण

आदेश आज दिनांक 06.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.09.20 16:19:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उप जिला कलक्टर